न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
491 / 2024	23.07.2024	12.09.2024

उनवान

1. अनोप पुत्री ज्वारा जाट निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
2. रामु पुत्री ज्वारा जाट निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
3. लादु पिता ज्वारा जाट निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
4. सोवनी पुत्री ज्वारा जाट निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण पिता देबी गाडरी निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
2. रतन पिता देबी गाडरी निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
3. कालु नाथ पिता मोहन नाथ निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
4. धनसिंह पिता देबी सिंह निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
5. अमर सिंह पिता गुलाब सिंह निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
6. पना पिता कालु रेबारी निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
7. रामेश्वर पिता उरजन जाट निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
8. कल्याण पिता रूपा गाडरी निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
9. शम्भु पिता चन्द्रा गाडरी निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
10. बद्री पिता देबी गाडरी निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
11. कल्याण पिता कजोड जाट निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
12. गोपाल पिता छोगा जाट निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
13. प्रहलाद पिता भंवर जाट निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
14. महादेव पिता कल्याण जाट निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
15. प्रभु पिता हीरा जाट निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
16. रामचन्द्र पिता हीरा जाट निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
17. महादेव पिता हीरा जाट निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
18. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सवाईपुर जिला भीलवाडा
19. स्टैट बैक आफ इण्डिया शाखा सरदारनगर तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी कृष्ण कुमार जीनगर
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 17 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लापियां प0ह0 बबराणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआखुर्द तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 319 की अभिलिखित आराजियात 1635/1240, 1637/154, 1639/164, 175, कुल किता 04 कुल रकबा 1.2140 हैक्टेयर व खाता संख्या 317 की अभिलिखित आराजियात 1641/165, 1643/166, 168 कुल किता 03 कुल रकबा 0.1011 हैक्टेयर व खाता संख्या 316 की अभिलिखित आराजियात 1633/1234 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिंस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 17 उपस्थित नही। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सवाईपुर को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा लापियां प0ह0 बबराणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआखुर्द तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 319 की अभिलिखित आराजियात 1635/1240, 1637/154, 1639/164, 175, कुल किता 04 कुल रकबा 1.2140 हैक्टेयर व खाता संख्या 317 की अभिलिखित आराजियात 1641/165, 1643/166, 168 कुल किता 03 कुल रकबा 0.1011 हैक्टेयर व खाता संख्या 316 की अभिलिखित आराजियात 1633/1234 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2276 हैक्टेंयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवांईपुर को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार सवाईपुर को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्द त्रिपाठी सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा